

FORM NO.111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

फिरम मुकदमा:- प्रार्थना पत्र वाजदायरी (टी0आई0) बनाम अणवी देवी वगै0

फूली देवी वगै0

मुकदमा नम्बर:- 118/2023

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तारीख
में जारी हुये

23.10.2023

प्रार्थीगण की ओर से श्री दिलीप सिंह मंगावा एड0 ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र वाजदायरी (टी0आई0) का पेश किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वाजदायरी (टी0आई0) पर वकील प्रार्थीगण को सुना गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त प्रस्तुत प्रार्थना पत्र (टी0आई0) से सम्बन्धित मूल दावा खारीज होने के कारण उसके साथ लगा अस्थायी निषेधाज्ञा (टी0आई0) प्रार्थना पत्र भी खारीज हो चुका है। कानूनन दावे की वाजदायरी लगाई जा सकती हैं। दावे के साथ ऐसी स्थिति में अस्थायी निषेधाज्ञा (टी0आई0) प्रार्थना पत्र पुर्नजिवित नहीं होता हैं।

अतः उक्त वाजदायरी प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा नियमानुकूल नहीं होने के कारण प्रारम्भिक स्तर पर ही प्रार्थना पत्र वाजदायरी (टी0आई0) को खारीज किया जाता है। वकील प्रार्थीगण सूचित रहे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।


23/10/23
(दिलीप सिंह)

उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

उपखण्ड अधिकारी

श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

